



email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन/फैक्स-0135-2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक -1956 / 12-1 दिनांक, मुनिकीरेती 10/05/2018, 1

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत जामणीखाल से चौडियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.785 हे० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/30646/2017

सन्दर्भ :-

भारत सरकार द्वारा दिनांक 03-03-2018 से लगाई गई आपत्तियों/ई०डी०एस० के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है। जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Please provide seprate component wise break up in B 2.4 as- A-Road construction. B- Muck Dumping	बिन्दु संख्या-01 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है। A- भाग-01 के पैरा बी-2.4 में मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण दिया गया है। B- मक डम्पिंग हेतु चयनित भूमि नाप भूमि है जिस कारण मक डम्पिंग हेतु चयनित भूमि का विवरण भाग-01 के पैरा बी-2.4 में नहीं दिया गया है। नाप भूमि में मलवा निस्तारण से भू-स्वामियों को कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में भू-स्वामियों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में पूर्व ही चस्था किया जा चुका है।
2	FRA certificate and proceding of the meeting of DM level committee is whiout any date.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा K (i a) में जिलाधिकारी द्वारा जारी एफ०आर०ए० की संशोधित प्रति अपलोड कर दिया गया है। एफ०आर०ए० की छाया प्रति मय संलग्न के प्रेषित की जा रही है।
3	Please upload proper and detailed juatification for the proposed project in forest area.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग-01 के पैरा D (i) में वन भूमि में प्रस्तावित परियोजना के औचित्य एवं संक्षिप्त विवरण पूर्व में ही अपलोड की गयी है। प्रतिवेदन की मूल प्रति मय संलग्नको के प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(राहुल)
वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती

संख्या - / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके पत्रांक-2611/12-1 दिनांक-07.05.2018 के क्रम : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राहुल)

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

दिनांक 18/04/2018

पत्रांक 820/33 सी

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय :-

जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से गैसकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 4.500 कि०मी०) (FP/UK/ROAD/30646/2017)

सन्दर्भ :-

ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 03.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 16 दिसम्बर 2017 को ऑन लाईन कमियों से इस खण्ड को प्राप्त हुई है जिसका निराकरण निम्नवत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Sl. No.	User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reply
1	2	3
1	Please provide seprate component wise break up in B 2.4 As -a - road construction. B muck dumping.	मलवा निस्तारण में ली जाने वाली भूमि मलवा निस्तारण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व की ही रहती है जिस कारण कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेक अप में मलवा निस्तारण की भूमि का नहीं जोड़ा गया है।
2	FRA certificate and proceedings of the meeting of DM level committee is without any date.	एफ़0आर0ए0 सर्टिफिकेट में जिलाधिकारी लेवल कमेटी में दिनांक अंकित की जा चुकी है।
3	Please upload proper and detailed justification for the proposed project in forest area.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु विस्तृत जस्टिफिकेशन शीटल अपलोड की जा चुकी है।

संलग्न -

उपरोक्तानुसार।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
18/04/18
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

वन अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रश्नों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Office of Uttarakhand Office of the District Collector-----
1082 / XXVI-150 (2016-17 dt)

Dated----- 25/03/2017


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

Reference is made to the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 1138-FC(Pt) dated 5th August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on collection of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA), for short on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that _____ hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Kirtinagar (name of user agency) for Jammikhal to Barguru to Bhainskot (purpose for diversion of forest land) in Tehri district falls within jurisdiction of _____ village (s) in Devprayag tehsils.

- It is further certified that
 - (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire _____ hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure...
 - (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
 - (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

FOR AGENCY

Date 25/03/2017


(Full name and official Seal of the District Collector)
(हनुमन्त बीड़ाई)
जिला अधिकारी
तेहरी गढ़वाल।

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights - Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Shri (इन्दर बौडार)**..... I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Devprayag Block area measuring 1.785 Hectare for the construction of Jamnikhal to Chaudiyon to **Bargura to Bhainskot Motor Road** in Tehsil Devprayag of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to forward the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place - Tehri


(Signature)
District Collector **(इन्दर बौडार)** Chairman
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Tehri Garhwal
New Tehri

It is further certified that – Minutes of meeting of Jamnikhal to Chaudiyon to Barguru to Bhainskot Motor Road (4.500 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.	Remarks
a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.785 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
b) The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.


 जिला प्रमुख
 जिला प्रशासन - भदोही
 तिहरी गढ़वाल


 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 तिहरी गढ़वाल


 प्रशासक, पंचायत समिति
 नरेन्द्र नगर, तिहरी
 मुनिकीरेती


 Signature
 (इन्दुधर बीजाद)
 जिला अधिकारी
 तिहरी गढ़वाल

प्रारूप सं० -- 1.90

भू-अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -
गडवाल देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत
जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग
निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

1144/111(2)/14-72(प्र०आ०)/2013 दिनांक 04.03.2014

जिले का देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत जामणीखाल से
बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग 4.500 कि०मी० हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा
निर्माण कार्य प्रयोज्यता प्राप्त हुई है। जिसके सम्बन्ध गांव वालों की सहमति पर ही 4.500
कि०मी० लम्बाई का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।


जिले का देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत जामणीखाल से
बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग के लिए 0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 1.785 है० सिविल वन
भूमि, 1.365 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.785 है० का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
कीर्तिनगर एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित
करने हेतु आदेश प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 1.365 है० ग्राम पंचायत, नागचौड़,
कीर्तिनगर, भैंसकोट के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से
सहमति से अधवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं
निर्माण कार्य बाधित नहीं होगा।


T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar


10/07/16
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

प्रियता जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल


ताहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य।
(लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

दिनांक 12.08.2015 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद- टिहरी गढ़वाल।

1.	श्री कै. मिश्र कुठाल इलाका	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी
2.	श्री पी. डब्ल्यू. बलोज	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	होतिनगर, दि. 12/8/15 उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग)
3.	श्री विनोद कुमार मिश्र	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग 
4.	श्री शिवप्रसाद	वी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	श्री शिवप्रसाद वी०डी०सी० क्षेत्र देवप्रयाग दि. 12/8/15

वि. ३/१/७२

जोगियाणा (भा. वि. भा. भा.)

- १. ...
- २. ...
- ३. ...
- ४. ...
- ५. ...
- ६. ...
- ७. ...
- ८. ...
- ९. ...
- १०. ...
- ११. ...
- १२. ...
- १३. ...
- १४. ...
- १५. ...
- १६. ...
- १७. ...
- १८. ...
- १९. ...
- २०. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...



जिला का नाम दिहरी मंडवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जागगीर ...
... से वारगुरु से भौसकोट गोटर मार्ग निर्माण ...
... (अर्थात् 4.500 कि०मी०)।

वन अधिकाधिक विनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

सम प्रमाण का नाम त्रैसकोट
... दिहरी मंडवाल


अनापत्ति प्रमाण पत्र

... दिहरी मंडवाल ... विकास खाण्ड कीर्तिनगर में जनपद दिहरी मंडवाल ...
... से वारगुरु से भौसकोट निर्माण के माध्यम ... निर्माण ...
... अर्थात् 4.500 कि०मी० ... अर्थात् 4.500 कि०मी० ...
... कीर्तिनगर ... मंडवाल ... मंडालय द्वारा प्रयोजित ...

... प्रमाण का नाम त्रैसकोट ... दिहरी मंडवाल ...
... निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोगक ...
... अर्थात् 4.500 कि०मी० ... अर्थात् 4.500 कि०मी० ...
... कीर्तिनगर ... मंडवाल ... मंडालय द्वारा प्रयोजित ...

... प्रमाण का नाम त्रैसकोट ... दिहरी मंडवाल ...
... निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोगक ...
... अर्थात् 4.500 कि०मी० ... अर्थात् 4.500 कि०मी० ...

... प्रमाण का नाम त्रैसकोट ... दिहरी मंडवाल ...
... निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोगक ...
... अर्थात् 4.500 कि०मी० ... अर्थात् 4.500 कि०मी० ...



... प्रमाण का नाम त्रैसकोट ... दिहरी मंडवाल ...
... निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोगक ...
... अर्थात् 4.500 कि०मी० ... अर्थात् 4.500 कि०मी० ...

दिनांक 17/12/2016 को राज सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - औरंगाबाद

क्र.सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विनोद सिंह सिद्ध	
2	अजय सिंह सिद्ध	
3	विजय सिंह सिद्ध	
4	जिंदू देवी	
5	अजय सिंह सिद्ध	
6	सुरेश सिंह सिद्ध	
7	पद्म देवी देवी देवी पंचायत एवं जिला पंचायत	
8	अजय सिंह सिद्ध	
9	श्यामल देवी	
10	प्रमोद देवी	
11	विशाल देवी	
12	शशी देवी	
13	जगदीश देवी देवी देवी देवी	
14	प्रमिला देवी	
15	सरोज देवी	
16	पद्म देवी	
17	सुरेश देवी	
18	शशी देवी	
19	विमा देवी	
20	जसि देवी	
21	सौजन सिंह	

ह0/ -
 ग्राम प्रधान
 औरंगाबाद
 दिनांक 17/12/2016

परियोजना विवरण :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.500 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 1144/111(2)/14-72 (प्रा०आ०)/2013 दिनांक 04.03.2014 द्वारा रू० 62.24 लाख की प्राप्त हुई है।

उक्त मार्ग के नव निर्माण हेतु समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी द्वारा उनके पत्रांक 2694/839 सी०-8/2016 दिनांक 09.06.2016 से स्वीकृत है तथा संरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक विजय डंगवाल प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून दिनांक 28.02.2015 से प्राप्त है। उपरोक्त मार्ग के स्थल का संयुक्त निरीक्षण लो०नि०वि० एवं वन विभाग मणिकनाथ रेंज डंगचौरा एवं सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक व अन्य दावेदारों की ओर से प्रधान के साथ दिनांक 29.04.2015 में किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। वर्तमान में ग्राम चौड़ियों बारगुरु हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मोटर मार्ग नहीं है एवं लोगों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ती है। जिस वजह से लोगों की आवाजाही में समय अधिक लगता है, एवं अतिआवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने में ग्राम वासियों को समय के साथ आर्थिक हानि भी होती है। साथ ही ग्रामवासियों के लोकल प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं आ पाते हैं, और काश्तकारों को उनकी फसल का मोटर मार्ग उपलब्ध न होने के कारण लाभ नहीं मिल पाता है। इस मोटर रमार्ग के बनने से जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा वहीं राष्ट्र की सम्पन्नता में भी वृद्धि होगी। इसलिये उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि 1.365 हे० नाप भूमि, 1.785 हे० में सिविल वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, अर्थात् 1.785 हे० वन भूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


(इ० जे०एस० चौहान)
अधिशायी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 870/33 सी

दिनांक 18/04/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 4.500 कि०मी०) (FP/UK/ROAD/30646/2017)
सन्दर्भ :- ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 03.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 16 दिसम्बर 2017 को ऑन लाईन कर्मियों से इस खण्ड को प्राप्त हुई है जिसका निराकरण निम्नवत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Sl. No.	User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reply
1	2	3
1	Please provide seprate component wise break up in B 2.4 As -a - road construction. B muck dumping.	मलवा निस्तारण में ली जाने वाली भूमि मलवा निस्तारण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व की ही रहती है जिस कारण कम्पानेन्ट वाईज ब्रेक अप में मलवा निस्तारण की भूमि का नहीं जोड़ा गया है।
2	FRA certificate and proceedings of the meeting of DM level committee is without any date.	एफ०आर०ए० सर्टिफिकेट में जिलाधिकारी लेवल कमेटी में दिनांक अंकित की जा चुकी है।
3	Please upload proper and detailed justification for the proposed project in forest area.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु विस्तृत में जस्टिफिकेशन डीटेल अपलोड की जा चुकी है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार। *(उत्तर देना है)*

(Signature)
18/04/18
अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रश्नों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Department of Uttarakhand Office of the District Collector-----
1082 / XXVI-150 (2016-17 dt) Dated----- 25/03/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11198-FC(Pt) dated 5th August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act, 2006 (FRA), for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that _____ hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Kirtinagar (name of user agency) for Jannikhal to Barguru to Bhainskot (purpose for diversion of forest land) in Tehri district falls within jurisdiction of _____ village (s) in Devprayag tehsils.

It is further certified that,

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire _____ hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure...
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

As the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Dated 25/03/2017

(Full name and official seal of the District Collector)
(सुन्दर बौराई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri (इन्दर बौराई)..... I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri at which the applicant claiming rights in Devprayag Block area measuring 1.785 Hectare for the construction of Jamnikhal to Chaudiyon to Bargurn to Bhainskot Motor Road in Tehsil Devprayag of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Kirtinagar Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.


After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place - Tehri


(Signature)
(इन्दर बौराई)
District Collector Cum Chairman
जिला अधिकारी
दिहरी मन्साल
District Tehri Garhwal
New Tehri

It is further certified that – Minutes of meeting of Jamnikhal to Chaudiyon to Barguru to Bhainskot Motor Road (4.500 km.) regarding FRA is as following.

Sr No	Remarks
(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.785 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b) The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.


 जिला समाज कल्याण संदर्भ
 जिला पंचायत भवन गडवाल
 टिहरी गढ़वाल


 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 टिहरी गढ़वाल


 प्रभारित प्रशासिका
 नरेंद्र नगर बस स्थान
 मुनिकीरेती
 मुनिकीरेती


 Signature

(
 (इन्दुवर बौरा)
 जिला अधिकारी
 टिहरी गढ़वाल

प्रारूप सं० - 1.90

भू-अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -
गडसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

1144 / 11(2) / 14-72(प्र०आ०) / 2013 दिनांक 04.03.2014


जनपद देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग 4.500 कि०मी० हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रस्तावित कार्य की पूर्णता प्राप्त हुई है। जिसके सम्बन्ध गांधी वालों की सहमति पर ही 4.500 कि०मी० लम्बाई का मार्ग गठित किया जा रहा है।


जनपद टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण के लिये 0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 1.785 है० सिविल वन भूमि, 0.00 है० ग्राम पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.785 है० का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोगकर्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित किया जा रहा है। तथा बाकी नाप भूमि 1.365 है० ग्राम पंचायत नागचौड़, देवप्रयाग, भैंसकोट के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से सिविल वन भूमि से अथवा अर्जित कर प्रयोगकर्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं जनपद देवप्रयाग में मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।


T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar


18107116
EXECUTIVE ENGINEER
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar


T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar


T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जागणोखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

दिनांक 12.08.2016 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद- टिहरी गढ़वाल।

1	श्री कै.के. मिश्र कुलशुभ कुमार	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी
2	श्री.पी.के. शर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	नरेन्द्रनगर, दि. 16
3	श्री.के.के. मिश्र कल्याण अधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
4	श्री.के.के. मिश्र	डी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	श्री.के.के. मिश्र सदस्य नरेन्द्रनगर-नरमदा दि. 16-देवप्रयाग

प्रपत्र-23

विहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जागणीवा-
नीरियों से चारयुरु से मीसाकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य
(कुल दूरी 4500 कि०मी०)।

विनिर्माण, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम प्रस्ताव का नाम- जौडीघाटा (मोडिघाटा)
जिला- देवप्रयाग जिला विहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विहरी गढ़वाल के ग्रामीण विकास खण्ड कीर्तिनगर में जागणीवा विहरी गढ़वाल के
नीरियों से चारयुरु से मीसाकोट निर्माण के परियोजना के निर्माण के
कार्य के अन्तर्गत निर्माण कार्य 000 म. (प्रस्तावित दूरी) अर्थात् कुल 1788 म. की दूरी का
कार्य कीर्तिनगर के एक म. सात सवाय प्रयोग एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्षित करना है।

इस विषय में ग्राम प्रस्ताव जौडीघाटा (मोडिघाटा) किताब नं. 75 का सम्बन्ध
में ग्राम की मंडल में प्रयोज्य एकेसी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्रदान करने का कार्य किया गया है। यह कि वन अधिनियम 1906 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन
भूमि का प्रयोज्य करने पर आवंटित वन भूमि का कब्जा/कृषि कार्य में अथवा नहीं। उपरोक्त सभी सम्बन्धित
कार्य में यह कि वन भूमि में किसी भी आवंटित वन भूमि का कब्जा/कृषि कार्य नहीं
करा जायेगा। वन अधिनियम परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत
अधिकारों को रखा है।

ग्राम प्रायः द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि
इस प्रकार (मोडिघाटा) ग्रामवासियों को वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोज्य एकेसी को
दिया जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः एवं सही है।

ग्राम प्रस्ताव प्रस्तावकर्ता
ग्राम प्रस्ताव प्रस्तावकर्ता



इस प्रकार वन अधिनियम परियोजना की किसी भी भूमि पर प्रयोज्य एकेसी को वन भूमि का कब्जा/कृषि कार्य नहीं
करा जायेगा। वन अधिनियम परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत
अधिकारों को रखा है।

संख्या - 231 / 2013

दिनांक 17/1/2013 को जग सभा की संयुक्त बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - श्रीविकार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विनोद सिंह सिद्ध	
2	जगत सिंह सिद्ध	
3	विजय सिंह सिद्ध	
4	विजय देवी	
5	पद्म सिंह सिद्ध	
6	सुरेश सिंह सिद्ध	
7	श्रीविकार देवी	
8	विजय देवी	
9	श्रीविकार देवी	
10	विजय देवी	
11	विजय देवी	
12	विजय देवी	
13	विजय देवी	
14	विजय देवी	
15	विजय देवी	
16	विजय देवी	
17	विजय देवी	
18	विजय देवी	
19	विजय देवी	
20	विजय देवी	
21	विजय देवी	
22	विजय देवी	
23	विजय देवी	
24	विजय देवी	
25	विजय देवी	
26	विजय देवी	
27	विजय देवी	
28	विजय देवी	
29	विजय देवी	
30	विजय देवी	

हो / -
ग्राम प्रधान

श्रीविकार देवी
मुख्य
श्रीविकार देवी

परियोजना विवरण :-

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.500 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 1144/111(2)/14-72 (प्रा०आ०)/2013 दिनांक 04.03.2014 द्वारा रू० 62.24 लाख की प्राप्त हुई है।

उक्त मार्ग के नव निर्माण हेतु समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी द्वारा उनके पत्रांक 2694/839 सी०-8/2016 दिनांक 09.06.2016 से स्वीकृत है तथा संरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक विजय डंगवाल प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून दिनांक 28.02.2015 से प्राप्त है। उपरोक्त मार्ग के स्थल का संयुक्त निरीक्षण लो०नि०वि० एवं वन विभाग मणिकनाथ रेंज डंगचौरा एवं सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक व अन्य दावेदारों की ओर से प्रधान के साथ दिनांक 29.04.2015 में किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। वर्तमान में ग्राम चौड़ियों बारगुरु हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मोटर मार्ग नहीं है एवं लोगों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ती है। जिस वजह से लोगों की आवाजाही में समय अधिक लगता है, एवं अतिआवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने में ग्रामवासियों को समय के साथ आर्थिक हानि भी होती है। साथ ही ग्रामवासियों के लोकल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ पाते हैं, और काश्तकारों को उनकी फसल का मोटर मार्ग उपलब्ध न होने के कारण लाभ नहीं मिल पाता है। इस मोटर रमार्ग के बनने से जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा वहीं राष्ट्र की सम्पन्नता में भी वृद्धि होगी। इसलिये उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि 1.365 हे० नाप भूमि, 1.785 हे० में सिविल वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, अर्थात् 1.785 हे० वन भूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


(इ० जे०एस० चौहान)
अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर